11.2.17

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश। वादी अधिवक्ता ने बताया कि मैने वाद पत्र पत्रावली मे दिनांक 12.3.16 को ही फर्द अहकाम पर लिख कर अवगत करा दिया की प्रकरण मे उसमे कोई कार्यवाही नही चाहते है प्रकरण ड्रोप कराने। मूल वाद मे कार्यवाही नही चाहने से प्रार्थना-पत्र का आगे चलने का कोई औचित्य नही है। अत: प्रार्थना पत्र मे कार्यवाई ड्रोप की जावे।

अत: वादी व वादी के अधिवक्ता प्रार्थना पत्र मे आगे कोई कार्यवाई नही चाहने से पत्रावली खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार हो कर दाखिल दफ्तर मे जमा हो।

महायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भीलवाड़ा